लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान

(स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) एवं लोहिया स्वच्छता योजना)

बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति, ग्रामीण विकास विभाग

बिहार सरकार

विद्युत भवन-2, प्रथम तल, बेली रोड, पटना-800 021, दूरभाष : +91-612-250 4980, फैक्स : +91-612-250 4960 वेबसाइट : www.lsba.bih.nic.in

पत्रांक: BRLPS/LSBA/Admn/33/18/104 **दिनांक :** 18.06.2020

कार्यालय आदेश

वित्त विभाग, बिहार सरकार के संकल्प संख्या 2297 दिनांक 22.04.2020 की कंडिका 3 में वर्णित प्रावधान के अनुसार 'माह मार्च एवं अप्रैल, 2020 के लॉकडाउन अवधि में संविदा कर्मी एवं वाह्य एजेन्सी के माध्यम से कार्यरत कर्मियों की उपस्थिति उनके संविदा में निर्धारित अवधि के अधीन पूर्ण मानी जायेगी। तद्नुसार संबंधित संविदा कर्मी एवं वाह्य एजेन्सी के माध्यम से कार्यरत कर्मी की उपस्थिति की बाध्यता को शिथिल करते हुए उन्हें पूर्व की भाँति मानदेय/मजदूरी का भुगतान किया जायेगा।'

उक्त के आलोक में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान में कार्यरत संविदा कर्मी/आउटसोर्स कर्मी/डाटा इंट्री ऑपरेटर को लॉकडाउन अविध में मानदेय भुगतान हेतु निम्नरूप से आदेश दिए जाते हैं -

(क) कार्यालीय कार्य से भ्रमण पर रहने के फलस्वरूप दिनांक 24.03.2020 को मुख्यालय से बाहर रहें हों और अचानक लॉकडाउन की घोषणा के कारण मुख्यालय में उपस्थित नहीं हो सकें हो, को भी लॉकडाउन अवधि में कर्त्तव्य पर उपस्थित माने जायेंगे।

(ख) लॉकडाउन अवधि में उनके द्वारा आवश्यकतानुसार पदीय कर्त्तव्यों का निर्वहन किया जाता रहा हो, भले ही वे प्रत्येक कार्य दिवस को निर्धारित अवधि में कार्यालय में उपस्थित नहीं रहें हों।

(ग) वैसे कर्मी, जो मुख्यालय छोड़ने की अनुमति प्राप्त किये बिना मुख्यालय से बाहर चले गये हों और दिनांक 24.03.2020 को अचानक लॉकडाउन की घोषणा के कारण मुख्यालय में उपस्थित नहीं हो सके, परंतु अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर (प्रतिवेदित पदाधिकारी) की अनुमति से Work from Home किए हों तो उन्हें कर्त्तव्य पर माना जायेगा।

18/06/2020

(बालामुरूगन डी०)
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-मिशन निदेशक